

2021/1597

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रधानमंत्री के खाता
अभियान-2021

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ~~खेडाराजपुरा~~ की
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 121
में ~~गैरा नाम गांधु पिंजरा~~ ~~दुर्जित सिंह~~ ~~लेकिन सही नाम~~
~~गांधुपाल पिंजरा~~ ~~पिंजरा~~ ~~है~~

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
निःगांधुपाल

दिनांक:- 25/12/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

दयजी,
निवेदन है कि ग्राम ~~खेडाराजपुरा~~ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के
संख्या 121 में प्रार्थी का नाम ~~गांधु पिंजरा~~ दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम ~~गांधुपाल पिंजरा~~ है जो संशोधित किया
उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.
11/12/21

पटवारी
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार


प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
स्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
रिपोर्ट पटवारी एवं भूअ0नि0 ~~दुर्जित सिंह~~ एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
~~खेडाराजपुरा~~ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 121 में प्रार्थी का
~~गांधु पिंजरा~~ के बजाय ~~गांधुपाल पिंजरा~~ किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

1518/21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम ~~खेडाराजपुरा~~ जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता
121 में दर्ज प्रार्थी का नाम ~~गांधु पिंजरा~~ के स्थान पर ~~गांधुपाल पिंजरा~~ संशोधन के
दिये जाते हैं।



प्रभारी उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)